प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद– आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, बागपत, बहराइच, बलिया, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदाँयू, बुलंदशहर, चित्रकूट, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, हाथरस, जौनपुर, झांसी, अमरोहा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महोबा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सम्भल, सीतापुर एवं वाराणसी।

पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCDCS / 2017–18 / दिनांक 22/02/18

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 में मधुमेह के उपचार हेतु इन्सुलिन ग्लारजिन के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की राज्य कार्ययोजना में एफ0एम0आर0 मद सं0 बी016.2.5.1 NHM Free Drug Services पर कुल रू0 2810.00 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत Insulin हेतु रू0 1000.00 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

2. इस कार्यालय के पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCDCS / 2017–18 / 10100–75 दिनांक 29 / 12 / 2017 द्वारा Insulin Neutral With Insulin Isophane 25% 75% 100IU/ml एवं Insulin Lispro 100IU/ml के क्रय हेतु धनराशि समस्त जनपदों के जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है।

3. मधुमेह के रोगियों का समुचित निःशुल्क उपचार हेतु इन्सुलिन ग्लारजिन हेतु कुल रू0 338.49 लाख की धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार समस्त जनपदों के जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है– PPMS No: C021807501236

(Amt. in Rs.)

S.N.	Name of District	No. of Cartridge Insulin Glargine 3 ml.	Amount to be released for procurement of Insulin Glargine@ Rs 262.5 including GST
1	Agra	3000	787500
2	Aligarh	2000	525000
3	Allahabad	2000	525000
4	AmbedkarNagar	5000	1312500
5	Baghpat	1000	262500
6	Baharich	5000	1312500
7	Ballia	10000	2625000
8	Bareilly	2000	525000
9	Basti	1000	262500
10	Bijnor	1000	262500
11	Budaun	2000	525000
12	Bulandsahar	2000	525000
13	Chitrakoot	1000	262500
14	Etah	1000	262500
15	Faizabad	2000	525000

16	Farrukhabad	1000	262500
17	Firozabad	2000	525000
18	Ghaziabad	2000	525000
19	Gorakhpur	2000	525000
20	Hathras	1000	262500
21	Jaunpur	2000	525000
22	Jhansi	1000	262500
23	Amroha	1000	262500
24	Kannauj	2000	525000
25	Kanpur Dehat	1000	262500
26	Kanpur Nagar	8000	2100000
27	Lakhimpur Kheri	4000	1050000
28	Lucknow	30000	7875000
29	Mahoba	2000	525000
30	Meerut	5000	1312500
31	Mirzapur	2000	525000
32	Moradabad	5000	1312500
33	Muzaffarnagar	2000	525000
34	Pratapgarh	1950	511875
35	Sambhal	1000	262500
36	Sitapur	5000	1312500
37	Varanasi	8000	2100000
	Total		33849375

4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी आंवटित धनराशि की सीमा तक इन्सुलिन ग्लारजिन का क्रय करने हेतु सम्बन्धित फर्म को तत्काल क्रयादेश जारी करना सुनिश्चित करेंगें तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा इन्सुलिन ग्लारजिन की आपूर्ति प्राप्त होते ही भुगतान करना सुनिश्चित करेंगें एवं इन्सुलिन की उपलब्धता जिला चिकित्सालय एवं आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चित करेगें, जिससे कि मधुमेह के रोगियों का ससमय समुचित उपचार किया जा सके।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

13. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPCDCS/2017–18/12111-37(8) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
4. निदेशक, भण्डार, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त की जा रही धनराशि एवं औषधि को डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन0पी0सी0डी0सी0एस0, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा0 ए0 बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद– आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, बागपत, बहराइच, बलिया, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदाँयू, बुलंदशहर, चित्रकूट, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, हाथरस, जौनपुर, झांसी, अमरोहा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महोबा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सम्भल, सीतापुर एवं वाराणसी।

पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCDCS / 2017–18 / 12111-37 दिनांक 22/02/18

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 में मधुमेह के उपचार हेतु इन्सुलिन ग्लारजिन के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की राज्य कार्ययोजना में एफ0एम0आर0 मद सं0 बी016.2.5.1 NHM Free Drug Services पर कुल रू0 2810.00 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत Insulin हेतु रू0 1000.00 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

2. इस कार्यालय के पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCDCS / 2017–18 / 10100–75 दिनांक 29 / 12 / 2017 द्वारा Insulin Neutral With Insulin Isophane 25% 75% 100IU/ml एवं Insulin Lispro 100IU/ml के क्रय हेतु धनराशि समस्त जनपदों के जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है।

3. मधुमेह के रोगियों का समुचित निःशुल्क उपचार हेतु इन्सुलिन ग्लारजिन हेतु कुल रू0 338.49 लाख की धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार समस्त जनपदों के जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है– PFMS NO:– C021807501236

(Amt. in Rs.)

S.N.	Name of District	No. of Cartridge Insulin Glargine 3 ml.	Amount to be released for procurement of Insulin Glargine@ Rs 262.5 including GST
1	Agra	3000	787500
2	Aligarh	2000	525000
3	Allahabad	2000	525000
4	AmbedkarNagar	5000	1312500
5	Baghpat	1000	262500
6	Baharich	5000	1312500
7	Ballia	10000	2625000
8	Bareilly	2000	525000
9	Basti	1000	262500
10	Bijnor	1000	262500
11	Budaun	2000	525000
12	Bulandsahar	2000	525000
13	Chitrakoot	1000	262500
14	Etah	1000	262500
15	Faizabad	2000	525000

16	Farrukhabad	1000	262500
17	Firozabad	2000	525000
18	Ghaziabad	2000	525000
19	Gorakhpur	2000	525000
20	Hathras	1000	262500
21	Jaunpur	2000	525000
22	Jhansi	1000	262500
23	Amroha	1000	262500
24	Kannauj	2000	525000
25	Kanpur Dehat	1000	262500
26	Kanpur Nagar	8000	2100000
27	Lakhimpur Kheri	4000	1050000
28	Lucknow	30000	7875000
29	Mahoba	2000	525000
30	Meerut	5000	1312500
31	Mirzapur	2000	525000
32	Moradabad	5000	1312500
33	Muzaffarnagar	2000	525000
34	Pratapgarh	1950	511875
35	Sambhal	1000	262500
36	Sitapur	5000	1312500
37	Varanasi	8000	2100000
	Total		33849375

4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी आंवटित धनराशि की सीमा तक इन्सुलिन ग्लारज़िन का क्रय करने हेतु सम्बन्धित फर्म को तत्काल क्रयादेश जारी करना सुनिश्चित करेंगें तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा इन्सुलिन ग्लारजिन की आपूर्ति प्राप्त होते ही भुगतान करना सुनिश्चित करेंगें एवं इन्सुलिन की उपलब्धता जिला चिकित्सालय एवं आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चित करेगें, जिससे कि मधुमेह के रोगियों का ससमय समुचित उपचार किया जा सके।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

13. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPCDCS/2017–18/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
4. निदेशक, भण्डार, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त की जा रही धनराशि एवं औषधि को डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन0पी0सी0डी0सी0एस0, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा0 ए0 बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0